

अयोध्या अब बाकायदा राम की हो गई

• Posted by on October 8, 2010 at 6:55am

अयोध्या अब बाकायदा राम की हो गई

प्रभात कुमार राँय

अयोध्या विवाद का आगाज़ तो वस्तुतः हुआ था एक सौ पच्चीस वर्ष पहले, जबकि सन् 1885 में जबकि निर्मोही अखाड़े के महंत रघुवर दास की ओर से एक याचिका फैजाबाद के तत्कालीन जिला जज एफ़डूए चैमियर की अदालत में दाखिल की गई। महंत रघुवर दास ने इस याचिका के तहत यह मांग की थी कि रामकोट पर मौजूद बाबरी मस्जिद परिसर में विद्यमान राम चबूतरे पर उनको राम मंदिर का निर्माण करने की इजाजत प्रदान की जाए। इस याचिका को जिला जज महोदय ने खारिज कर दिया, किंतु अपने फैसले में यह उल्लेखित किया कि जिस स्थान पर सन् 1528 में यहां पर बाबरी मस्जिद का निर्माण किया गया, वस्तुतः पराम्परागत रूप से वह स्थान हिंदुओं का एक बेहद पवित्र स्थान रहा है। ब्रिटिश जिला जज चैमियर ने अपने ऐतिहासिक अदालती निर्णय में कहा कि यह तथ्य सुनिश्चित है कि मूलतः यह स्थान हिंदूओं का अत्यंत पवित्र स्थान है, किंतु 358 वर्ष के अंतराल के पश्चात इस मामले में यथास्थिति बनाए रखने के अतिरिक्त उनको कोई चारा नजर नहीं आता। अतः महंत रघुवर दास की याचिका को खारिज किया जाता है और इस स्थान पर राम मंदिर के निर्माण की इजाजत कदाचित प्रदान नहीं की जा सकती।

आजादी के दौर में दिसंबर 22 दिसंबर 1949, फैजाबाद में एक जिलाधीष महोदय थे श्रीमान के के नैय्यर साहब, उनके कार्यकाल में अयोध्या नगरी के विवादित परिसर में भगवान राम सीता लक्ष्मण हनुमान की मूर्तियां प्रकट हुईं। इन मूर्तियों की बाकायदा जिलाधीष के के नैय्यर की निगरानी में विवादित परिसर में प्राण प्रतिष्ठा की गई। रामचबूतरे पर मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा के विरोध में थाना अयोध्या में मुस्लिम वक्फ़ बोर्ड की ओर से एक एफआईआर दर्ज कराई गई जिसे सबइंस्पेक्टर राम दूबे ने लिखा। इस तरह यह मुकदमा अदालत में निर्मोही अखाड़े के संत रामचंद्र परमहंस द्वारा 1950 में दायर किया गया। अदालत ने विवादित परिसर को सीलबंद करके इस पर ताला डाल दिया। सन् 1986 में इस मुकदमे में एक महत्वपूर्ण मकाम तब आया, जबकि फैजाबाद के वकील उमेशचंद्र पांडे की अपील पर जिला जज कृष्ण मोहन पांडे ने विवादित परिसर का सीलबंद ताला खोल देने का हुक्म जारी कर दिया। इसी मकाम से अयोध्या विवाद ने एक बेहद हिंसक संघर्षपूर्ण रूप इख्तियार किया। सन् 1984 के आम चुनाव भाजपा ने बुरी तरह शिकस्त खाई थी और संसद की मात्र दो सीटों पर विजयी रही। भारतीय जनता पार्टी को एक ऐसा मुद्दा मिल गया, जिसका गहन संबंध हिंदुओं की प्रबल धार्मिक आस्था से रहा। राम जन्म भूमि पर राम मंदिर का निर्माण करने के प्रश्न पर भाजपा के नेता लालकृष्ण अडवाणी ने सोमनाथ मंदिर से अयोध्या तक की एक रथयात्रा आरम्भ की। इस रथयात्रा ने संपूर्ण राष्ट्र में खतरनाक सांप्रदायिक उन्माद को जन्म दिया। फलस्वरूप हिंदू-मुस्लिम दंगों की एक नई इबारत इतिहास में दर्ज की गई, जिसमें तकरीबन दस हजार बेगुनाह लोग बेमौत मारे गए। भाजपा को इसका बेहद राजनीतिक फायदा हुआ। पार्टी राम मंदिर की लहर पर चढ़कर 1991 के आम चुनाव में केंद्र में मुख्य विरोधी दल बन गई और 1991 में ही उत्तर प्रदेश में सत्तानशील हो गई। कल्याण सिंह प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर विराजमान हो गए। राममंदिर का निर्माण एक राजनीतिक मुद्दा बन गया। राम मंदिर के निर्माण आंदोलन बहुत

तेज हो गया। रथयात्रा और कारसेवा के उन्मादी दौर में 23 जुलाई 1992 को सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा स्पष्ट आदेश दिया की विवादित परिसर को कोई कारसेवा अंजाम नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने का तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण ने लिखित आश्वासन दिया। 6 दिसंबर सन् 1992 में अयोध्या के रामकोट पर मौजूद विवादित परिसर में क्या कुछ घटित हुआ, सब जानते हैं कि बाबरी मस्जिद के ढाँचे को तहस नहस कर दिया गया। यहां पर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की धज्जियां उड़ा दी गईं। इसके बाद देश भर में दंगों का दौर फिर से शुरू हो गया।

ऐतिहासिक तौर पर अयोध्या नगरी को सदैव से ही भगवान राम की नगरी के रूप में जाना पहचाना जाता है। बाबरी मस्जिद को सन् 1528 में निर्मित किया गया इस तथ्य से कोई पक्ष इंकार नहीं करता। किंतु क्या इसका निर्माण राम मंदिर को ध्वस्त करके किया गया था, जहाँ कि राम लला का जन्म हुआ था, बस यह विवादित तथ्य रहा। इस तथ्य को तय करने में अदालत ने 60 वर्षों का समय ले लिया। यह फैसला यदि जल्द ही हो गया होता तो राम मंदिर निर्माण आंदोलन के कारण हुए दंगों में इतने सारे इंसानों का रक्त नहीं बहता। न्यायिक विलंब देश के लिए कितना भयावह सिद्ध हो सकता है, राम मंदिर बनाम बाबरी मस्जिद मुकदमा इसकी मिसाल बन चुका है। अब तो हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया है कि विवादित परिसर का कुल रकबा तकरीबन ढाई एकड़ का है, जिसको बाकायदा बराबर तीन हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए। एक हिस्से को जिसे गर्भग्रह कहा जाता है, जहां कि गुंबद के नीचे राम लला की मूर्तिया स्थापित रही हैं, उसे राममंदिर ट्रस्ट के हवाले कर दिया जाए। दूसरे हिस्से की मिल्कियत निर्मोही अखाड़े को प्रदान की गई, जहां कि सीता रसोई आदि स्थल विद्यमान हैं। तीसरे भाग का मालिकाना हक सेंट्रल वक्फ बोर्ड को होगा। संपूर्ण मामले पर हाई कोर्ट के तीनों न्यायाधीशों की तीन मुख्तलिफ राय रही। बस एक तथ्य पर वे एकमत रहे कि विवादित परिसर के गर्भ गृह पर हिंदूओं का दावा साबित होता है। जस्टिस शर्मा की राय रही कि संपूर्ण परिसर पर राम मंदिर का ही है और विवादित ढांचे का निर्माण राम मंदिर को ध्वस्त करके किया गया। अतः संपूर्ण परिसर पर हिंदूओं का हक साबित होता है। जस्टिस अग्रवाल ने सबसे लंबा फैसला लिखा और पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के साक्ष्यों को अदालत ने स्वीकार किया। जस्टिस एस यू खान ने कहा कि विवादित ढाँचे की तशकील राम मंदिर को ध्वस्त करके नहीं की गई। जस्टिस अग्रवाल और जस्टिस खान ने विवादित परिसर को तीन हिस्सों में बराबर तकसीम करने का फैसला सुनाया। अभी तक जो प्रतिक्रियाएं सामने आईं उनमें सभी हिंदू संगठन अदालत के फैसले संतुष्ट प्रतीत हुए। उन्होंने मुसलमानों को विवादित परिसर का एक हिस्सा देने पर कोई ऐतराज प्रकट नहीं किया। सेंट्रल मुस्लिम वक्फ बोर्ड अदालती निर्णय से संतुष्ट नहीं है अतः इसके बरखिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा।

अदालत को फैसला करने में बहुत वक्त लगा किंतु देर आए दुर्रुस्त आए चलो यही सही। इस मुकदमें में पक्षकार कोई भी क्यों न रहे, किंतु समस्त देश इसकी चपेट में आ गया। कानून के राज में और अदालत के निर्णय में विश्वास करोगे तो लोकतंत्र कायम रहेगा अन्यथा इसकी धज्जियां बिखर जाएगीं। सुप्रीम कोर्ट ने 23 सितंबर को मामले पर स्टे प्रदान करके फिर उसे फिर उसे त्वरित सुनवाई के पश्चात खारिज करके जैसी तेजी दिखाई अगर वैसी ही तीव्रता हाई कोर्ट एवं अन्य अदालतें भी दिखलाएं तो भारतीय लोकतंत्र और न्यायपालिका से निरंतर उठता जाता यकीन पुनः कायम हो सकता है। अब अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की गति की परीक्षा होनी है, क्योंकि मामला सर्वोच्च अदालत के समक्ष पेश होगा ही।

प्रभात कुमार राय

पूर्व प्रशासनिक अधिकारी

